



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
*Extraordinary*

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

वैशाख 12, बुधवार, शाके 1934-मई 2, 2012  
*Vaisakha 12, Wednesday, Saka 1934-May 2, 2012*

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 2, 2012

संख्या प. 2 (1) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

**राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2012  
(2012 का अधिनियम संख्यांक 9)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को प्राप्त हुई]

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 7 का संशोधन.**- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 22) की धारा 7 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) भारत का मुख्य न्यायाधिपति या उसका नामनिर्देशिती, जो तत्समय भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।"

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, May 2, 2012**

**No. F. 2 (1) Vidhi/2/2012.**—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rastriya Vidhi Vishwavidhyalaya, Jodhpur (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 9).-

**(Authorized English Translation)**

**THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR**

**ACT, 2012**

**(Act No. 9 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 30<sup>th</sup> day of April, 2012]

*An*

*Act*

*to amend the National Law University, Jodhpur Act, 1999.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the National Law University, Jodhpur (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 22 of 1999.**- For the existing sub-section (1) of section 7 of the National

Law University, Jodhpur Act, 1999 (Act No. 22 of 1999), the following shall be substituted, namely:-

“(1) The Chief Justice of India or his nominee who is, for the time being, a Judge of the Supreme Court of India, shall be the visitor of the University.”.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**